Ann. 4 2

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–I) विभाग

क्रमांक प. 5(12) एम. ई./ ग्रुप–1/2010 जयपुर, दिनांक: 18/9/2010

–:: प्रमाण–पत्र ::–

यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य में राजकीय दन्त कॉलेज, जयपुर एवं निजी क्षेत्र में संचालित 4 डेन्टल कॉलेजों में स्नोतकोत्तर (एमडीएस) पाठ्यकक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है परन्तु अभी भी दन्त विषय विशेषज्ञों की काफी कमी है। अतः राज्य की जनता को दन्त विषय विशेषज्ञों की विशिष्ठ सेवायें उपलब्ध नही हो पा रही है तथा विशेषज्ञों की कमी के कारण राज्य के रोगियों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। साथ ही राज्य के डेन्टल कॉलेजों से बी.डी.एस. का पाठ्यक्रम पूर्ण कर विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडीएस) के अध्यापन हेतु अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा जनता की आशाओं/अपेक्षाओं के अनुरूप विषय विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः विषय विशेषज्ञों की कमी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुसंधान एवं उपचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यास डेन्टल कॉलेज एण्ड अस्पताल,जोधपुर में निम्नांकित 9 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडीएस) शुरू किये जाने की महती आवश्यकता है:–

क्र0 सं0	विषय	सीटों की संख्या
1-	Prosthodontics	3
2-	Periodontics	3
3-	Oral and Maxillofacial Surgery	3
4-	Conservative Dentistry	3
5-	Orthodontics	3
6-	Oral Pathology	3
7-	Public Health Dentistry	3
8-	Paedodontics	3
9-	Oral Medicine	3

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, भारतीय दन्त परिषद, एवान–ए–गालिब मार्ग, कोटला रोड़, टेम्पल लेन, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रमाण–पत्र व्यास डेन्टल कॉलेज एण्ड अस्पताल, जोधपुर द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित पत्र के आधार पर प्रदान किया गया है।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सेक्टर–18, प्रताप नगर, जयपुर जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. प्रबन्ध निदेशक, व्यास डेन्टल कॉलेज एण्ड अस्पताल, जोधपुर को उनके पत्र दिनांक 13.07.2010 के संदर्भ में प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी